राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5262/2021

बाबूलाल जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
4. बाबू लाल यादव पुत्र श्री कान्हा राम यादव निवासी धनी राय वाली, मुकाम एवं पोस्ट देवराला, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.10.2021
आदेश की दिनांक : 20.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2021 एवं 05.03.2019 (अनुलग्नक–1 एवं 7) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। तदुपरान्त उसे जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, अपीलार्थी को भी उसी तिथि से पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम सही क्रम संख्या पर अंकित किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2011 में हुई और अपीलार्थी की

मेरिट क्रमांक 1067 है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की मेरिट क्रमांक संख्या 1089 है। आदेश दिनांक 04.01.2013 के द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग उक्त दोनों को आवंटित किया गया, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। आदेश दिनांक 12.02.2013 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया, परंतु बिना किसी कारण के अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से मेरिट में आगे है। अपीलार्थी के निरंतर प्रयास करने पर उसे दिनांक 24.04.2013 को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया, जो अनुलग्नक–3 एवं 4 से प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ सहायकों की दिनांक 26.08.2014 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 245 पर था और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 250 पर अंकित किया गया। इसी प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ सहायकों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.08.2017 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 63 पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 66 पर अंकित किया गया था, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट होता है। आदेश दिनांक 05.03.2019 के द्वारा अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को वरिष्ठ सहायक के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जबकि चयन दिनांक 01.04.2016 है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जो पूर्ण रूप से अनुचित व अवैद्य है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को उक्त मामले के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 01.04.2018 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ सहायक की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से नीचे अंकित किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की, परंतु अपीलार्थी की आपत्ति पर बिना विचार किए अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई। अपीलार्थी ने कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति से संबंधित सभी औपचारिकताएं मार्च, 2013 में पूरी की गई, परंतु अवैद्य व अनुचित तरीके से अपीलार्थी को बिना किसी कारण के दिनांक 24.04.2013 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया, जबकि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की भर्ती एक साथ हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 8887–88/1996 (सीसी–9594/96) पिल्ला सीताराम पातरूडू बनाम यूनियन

ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 25.03.1996 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह उल्लेखित है कि सीधी भर्ती द्वारा चयनित सूची में जो स्थान (मेरिट क्रमांक) दिया गया है और यदि नियुक्ति देने में नियोक्ता द्वारा किन्ही कारणों से देरी की गई तो ऐसे कार्मिक को चयनित सूची के आधार पर वरिष्ठता का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता तथा वरिष्ठता एवं पदोन्नति अपनी मेरिट क्रमांक के आधार पर पाने का अधिकारी है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को चयनित सूची में मेरिट क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता एवं पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2021 एवं 05.03.2019 (अनुलग्नक–1 एवं 7) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। तदुपरान्त उसे जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, अपीलार्थी को भी उसी तिथि से पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम सही क्रम संख्या पर अंकित किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभागीय आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2021 एवं 05.03.2019 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं नियमानुसार राज्य हित में जारी किया गया है। उक्त आदेशों में किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता व अवैद्यता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के शेड्यूल 1 के तहत दिनांक 31.03.2015 के अनुसार दिनांक 01.04.2016 को निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने के कारण वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के प्रतिकूल वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति नहीं की गई तथा दिनांक 31.03.2015 के अनुसार निर्धारित अनुभव पूर्ण होने पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के प्रतिकूल वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। वरिष्ठ सहायक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण वर्ष 2021–22 सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 24.04.2013 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर कॉलेज शिक्षा विभाग में अन्य पिछडा वर्ग में की गई तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 12.02.2013 के द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर अन्य पिछडा वर्ग में की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.08.2014 के द्वारा अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की वरिष्ठता को दर्शाया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 245 पर एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम क्रम संख्या 250 पर अंकित है, इससे यह स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से वरिष्ठता में नीचे है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2011 सीधी भर्ती के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का चयन किया गया है, जहां तक अपीलार्थी का अनुभव वरिष्ठ सहायक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए पूर्ण ना होने तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का अनुभव उक्त पदों के लिए पूर्ण होने पर पदोन्नत किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में आदेश दिनांक 12.02.2013 (अनुलग्नक–3) एवं आदेश दिनांक 24.04.2013 (अनुलग्नक–4) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का नियुक्ति आदेश निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से लगभग 2 माह बाद जारी किया गया है जबकि अनुलग्नक–9 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन दिनांक 05.03.2013 को विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया और इस प्रकार सभी औपचारिकताएं अपीलार्थी द्वारा माह मार्च, 2013 में ही पूरी कर दी गई, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा देरी से दिनांक 24.04.2013 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया। इससे यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने में विलम्ब हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 8887–88/1996 (सीसी–9594/96) पिल्ला सीताराम पातरूडू बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 25.03.1996 में ऐसे कार्मिकों को चयन सूची में प्राप्त मेरिट क्रमांक के आधार पर पदोन्नति एवं वरिष्ठता का लाभ दिया जाना उचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी चयन सूची में मेरिट क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता अनुसार, नियमानुसार कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2021 एवं 05.03.2019 (अनुलग्नक–1 एवं 7) को

अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिस तिथि से निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति प्रदान की गई उसी तिथि से अपीलार्थी को भी एक रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर उसकी अग्रिम पदोन्नतियों पर नियमानुसार विचार किया जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य